The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 6 | June 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF(2026): 5.6
Website: www.theacademic.in

शिक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं नई तालीम

डॉ. चंकी राज वर्मा

सहायक प्राध्यापक, मैट्स विश्वविद्यालय (मैट्स स्कूल ऑफ एजूकेशन), आरंग रायपुर

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.21444785

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 11-05-2026

Accepted: 30-06-2026

Published: 15-07-2026

Keywords:

शिक्षा, परिप्रेक्ष्य, नई तालीम, शारीरिक, मानसिक

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा गाँधी जी द्वारा बताई नई तालीम एवं बुनियादी शिक्षा का वर्तमान समय में उपयोगिता का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, शोध पत्र में गाँधी की नई तालीम एवं बुनियादी शिक्षा क्या है का वर्णन किया गया है तथा बुनियादी शिक्षा एवं नई तालीम वर्तमान समय क्या प्रसिंगता है। गाँधी ने कहा है कि "हमारे बालको की पढाई ऐसी नही होनी चाहिए, जिससे वे मेहनत का तिरस्कार करने लगे"। अर्थात कि शिक्षा इस प्रकार हो कि वह बालको को मेहनत करने को प्रोत्साहित करे जबकि वर्तमान समय में शिक्षा की यही मांग हैं कि शिक्षा कौशल युक्त हो जो बालक को प्राप्त होने के बाद रोजगार में सहायक हो जिससे वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पाया जा सके, जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके स्कूलों से निकल रहे हैं। वे अपना और अपने परिवार का भरण- पोषण कर सके साथ ही हमारी शिक्षा की वर्तमान सबसे बड़ी कमी हैं कि वह रोजगार परक न हो कर केवल उपाधि प्राप्ति का साधन मात्र रह गई है। गाँधी जी बुनियादी दस्तकारी को शिक्षा क्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है तथा जिसमे इन्होंने बताया की इस शिक्षा की मंसा यह है कि गांव के बच्चो को सुधार कर उन्हें गांव का आदर्श बाशिंदा बनाया जाय जिससे गांव के बच्चे भी जीवन उपयोगी शिक्षा पा ले, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके जो वर्तमान शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी कमी यही हैं कि वह जीवन उपयोगी नही है साथ ही वह बालक को किसी कौशल में निपूर्ण नही करती है, एक

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

सामान्य सा बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी समाज के लिए बोझ बना रहता है। शिक्षा प्राप्त कर हमारे स्कूलों से निकल रहे बच्चो को किस प्रकार शिक्षित किया जाय की वे वर्तमान समाज के लिए उत्पादक का कार्य करे न कि सिर्फ उपभोक्ता का इस प्रश्न का उत्तर हमें कही न कही गाँधी जी द्वारा बताए शिक्षा के सिद्धान्तो में दृष्टी गोचर होते है

भूमिका -

शिक्षा से मेरा आशय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एव आध्यात्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है ।''वास्तविक समस्या यह है कि लोगों को इस बात का आभास नहीं है कि असली शिक्षा क्या है।हम शिक्षा के मूल्य को इसी तरह आँकते हैं जिस तरह जमीन और स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों केमूल्य को आँकते हैं। हम केवल वहीं शिक्षा देना चाहते हैं जिससे छात्र अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। शिक्षा के चरित्र में सुधार के लिए शायद ही हम कोई प्रयास करते हैं। लड़कियाँ, जिन्हें हम कहते हैं कि उन्हें कमाना नहीं, तो उन्हें क्यों शिक्षा दी जाएं? जब तक ऐसे विचार समाज में बने रहेंगे तब तक शिक्षा का सच्चा मूल्य जानने की कोई उम्मीद नहीं है।'' दार्शनिक विल डूरा- शिक्षा सभ्यता का परिवर्तन है "यदि ज्ञान केवल ही रह जाए तो व्यक्ति के पास जीने की कोई उम्मीद नही रह जाती लेकिन यदि वः ज्ञान को बुद्धि में बदल दे तो न केवल वह जीवित रहेगा बल्कि उपलब्धियों की नई से नई ऊचाइयो को प्राप्त करने के योग्य हो जायेगा" एक पाश्चात्य विद्वान् होडिंग कार्टर ने ठीक ही कहा था कि हम अपने बच्चो को दो स्थायी वरदान(वसीयत) दे सकते है एक जड़ और दूसरा पंख अर्थात एक पैर हमेशा जमीन (जड़) पर रहे और दूसरा पैर (आगे बढ़ने के लिए) हवा में कुलाचे भरे(पंख), किन्तु जब कोई बच्चा अपने दोनों पैर जमीन पर गाड़े रखता है तो वह अतिजीवी तथा पश्चगामी बन जाता है अर्थात कि शिक्षा ही वह साधन है जो बालको के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रसस्त करती है ताकि वे अपना जीवन स्वछंदता पूर्वक जी सके

गाँधी जी भारतीय शिक्षा को 'द व्युतिफुल टी' कहा करते थे इसके पीछे कारण यह है कि गाँधी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा था उससे पाया की भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन है गाँधी हमेशा स्वालम्बन पर जोर देते रहे स्वालम्बन का यह रास्ता विभिन्न तरह के कौशलो से होकर गुजरता है। शिक्षा समाज का दर्पण है और इस नाते समाज की आशाओ, आकांक्षाओ को प्रतिबिम्बित करना शिक्षा का कर्तव्य ही नही अनिवार्यता भी हो जाती है चुकी शिक्षा विकास की प्रथम सिढी होती है और भारत गावो में बसता है गाव भारत की आत्मा है । सन् 1935 ई. के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक

प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन् 1938 से ही बुनियादी शिक्षा में अनेक प्रयोग आरंभ हो गए थे किंतु वे अलग अलग और सीमित स्तर पर किए गए। सन् 1939 ई. में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से एक और कठिनाई उपस्थित हो गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे। किंतु उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप, कुछ प्रांतों में प्रयोग बिलकुल बंद कर दिए गए और अन्य प्रांतों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के रूप में गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया गया।

नई तालीम या बुनियादी शिक्षा -

गाँधी जी नई तालीम के सम्बन्ध में कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है, कि बालक की या प्रौढ की शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओ को उदघाटित किया जाय और बहार प्रकाश में लाया जाय अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और न उसका आरम्भ वह तो मनुष्य की शिक्षा के कई साधनों में से केवल एक साधन है अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नहीं है इसलिए मै शिक्षा का श्रीगणेश उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षण से वह अपनी शिक्षा आरम्भ करे उसी क्षण उसे उत्पादन के योग्य बनाकर करुगा मेरा मत है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास सम्भव है, अलबत्ता प्रत्येक दस्तकारी आजकल की तरह निरे यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक तरीके पर सिखानी पड़ेगी, अर्थात बालक को प्रत्येक क्रिया का क्यों और कैसे बताना होगा

शिक्षा की मेरी योजना में हाथ अक्षर लिखना सिखाने के पहले औजार चलाना सीखेगे हाथ का काम इस सारी योजना का केंद्रबिंदु होगा हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशाला के संग्रहालय में रखने लायक वस्तुए बनाये या ऐसे खिलौने बनाये जिनका कोई मूल्य नहीं उन्हें ऐसी वस्तुये बनाना चाहिए जो बाजार में बेचीं जा सके कारखानों के प्रारम्भिक कल में जिस तरह बच्चे मार के भय से काम करते थे, उस तरह हमारे बच्चे यह काम नहीं करेगे वे उसे इसलिए करेगे कि इससे उन्हें आनंद मिलता है और उनकी बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालको का शारीरिक बौद्धिक और नैतिक विकास करना है लेकिन मै मानता हूँ कि कोई भी पद्धति जो शैक्षणिक दृष्टी से सही हो और जो अच्छी तरह चलायी जाय आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध होगी चूकी

बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नजदीक थी साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधार भूत व्यवसायों से जुडी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह क्र सकता था अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुडी हुई थी

शिक्षा का वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य -

प्रगति पथ पर अग्रसर भारतीय समाज आज पाश्चात्य सभ्यता द्वारा प्रेरित भौतिकतावाद के दौर से गुजर रहा हैं समकालीन शिक्षा की अभिधारणा भी समाज की इस परिवर्तित मनोभाव से अछूती नहीं रह सकती, परिणाम स्वरूप आप भारतीय शिक्षा ने भी पारस्परिक निर्माणात्मक भूमिका को त्याग कर समय माग के अनुकूल उपयोगितावादी भूमिका को आत्मसात करने की चेष्टा की है, परन्तु यह कटु सत्य है, कि इस चेष्टा में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था केवल परीक्षा और उपाधि की चेरी बनकर रह गई है, इन वास्तविकता के चलते आज शिक्षा और समाज के बीच एक नया संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शिक्षा से सम्बन्धित अनेक आयोगों समितियों तथा नीतिगत प्रतिपादनों के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया को व्यवहारिक प्रासंगिक तथा विकास की आवश्यकताओ के अनुरूप ढालने के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए है, तथापि यत्र.तत्र परिलक्षित कतिपय सफलताओ को छोड़कर सामान्यतया वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त एव त्रस्त है, बच्चे आमतौर पर कक्षा में परोक्ष श्रोताओ के रूप में पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करते है, पठन पाठन की प्रक्रिया एकतरफा है और वह भी सत्तावादी वातावरण में संपन्न होती हैं। इसमे सक्रीय सहभागिता आपसी सहयोग या क्रियाशील तत्परता के स्थान पर श्रुति और स्मृति का बोलबाला हैं। इस परिवेश में छात्रो द्वारा कार्य नियोजन उच्चस्तरीय चिन्तन नवाचार तथा क्रियात्मकता गतिविधियों का नितांत अभाव है यहाँ यह कहना अत्युक्ति न होगी कि शिक्षा की विषय वस्तू तथा स्कुल कालेजो में शैक्षिक प्रक्रिया परिवर्तनशील कार्य जगत की आवश्यकताओ से पूर्णतया वेखबर शिक्षा द्वारा छात्रो में ऐसी योग्यताओ का विकास किया जाना चाहिए जिनके द्वारा वे भावी जीवन में विषम अप्रत्याशित या अपेक्षित है।जो छात्रो में अभिनवन की क्षमता समायोजन की मानसिकता तथा उद्यमिता के गुणों का विकास कर उन्हें स्वरोजगार और स्वाध्याय की ओर कर सके । बुनियादी शिक्षा निरंतर प्रगति करती रही है क्योंकि बेसिक स्कूलों की संख्या बराबर बढ़ती रही है। किंतु साधारण प्रारंभिक और मिडिल स्कूलों की अपेक्षा बेसिक स्कूलों की संख्या की वृद्धि की गति में कमी रही है। बेसिक स्कूलों में प्रवेश का जहाँ तक संबंध है स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लक्ष्य तो यह था कि बेसिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के वर्गवाले सभी लड़कों एवं लड़कियों के लिये बुनियादी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। किंतु प्रथम दो योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रगति इस शिक्षा में नहीं हुई। इस काल में बुनियादी शिक्षा के प्रसार की प्रगति उतनी भी नहीं हुई जितनी साधारण प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की, यद्यपि साधारण प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। अध्यापक शिक्षण की स्थिति भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय विचारगोष्ठी की 1960 ई. की रिपोर्ट और हाल में अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की

1963 ई. की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों और अन्य स्थूल साधनों की कमी रही है बल्कि अपर्याप्त पाठ्य विषय और शिक्षण की प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी दोष रहा है।

शिक्षा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में श्री लाल शुक्ल की यह पंक्ति सटीक परिलक्षित होती है, "श्रीमान आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिन्तुस्तानी विद्यार्थी ह,ै जिनकी किस्मत में तस्वीर की औरत भर लिखी है" अर्थात की केवल आप उपाधि प्राप्त कर पाते है न की उस महत्व का ज्ञान अर्जित कर पाते है ।

नयी तालीम के प्रसार की आवश्यकता –

तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान दौर में, ग्रामीण क्षेत्र नवीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के बराबर लाने के लिये कृत संकल्प है। इसके लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा परिवर्तन के अन्य कारकों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान देने व ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करने से, यह लगता है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सक्रियता कार्यक्रमों तथा सामाजिक नेतृत्व व संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। यहां यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तीव्र परिवर्तन से कहीं ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक ताना-बाना ही छिन्न-भिन्न न हो जाये। साथ ही ग्रामीण जनता में विभिन्न कौशलों को विकसित करते रहने का भी सतत प्रयत्न करते रहना होगा। हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में लोगों का सही दृष्टिकोण बने इसकी भी कोशिश करनी होगी। यह सब करते हुये, यह भी ध्यान से रखने की आवश्यकता है कि इस परिवर्तन के दौर में कहीं वह सब भी नष्ट न हो जाये जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा है। परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौती समुचित शिक्षा व उपयोगी कौशल उपलब्ध कराने की है, रोजगार प्राप्त करने व प्राप्त रोजगार को बनाये रखने में पेशेगत कौशल या विशेष कार्य सम्बन्धी कौशल की आवश्यकता होती है। इसी के समान महत्त्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिये यह बहुत ही कठिन तथा व्ययसाध्य है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा के मौंकों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण युवकों को इस तरह तैयार करने की आवश्यकता है कि वह बहुस्तरीय परिवर्तनों के अनुकूल अपने को ढाल सके तथा विकास के कार्यक्रम में भागीदारी कर सकें।

गांधी जी का शिक्षा दर्शन समग्र शिक्षण है। ''नयी तालीम'' सामाजिक परिवर्तन के लिये शिक्षा है। इस शिक्षा का उद्देश्य सभी का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास विशेषतः समाज के पिछले वर्गों का, करके शोषणमुक्त, समानता आधारित नव समाज रचना करना है। शिक्षा का दायरा मात्र विज्ञान या अन्य विषयों के सिद्धान्त रटने व उनमें विशेषता पाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता तथा दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास

आदि ऐसे गुण हैं जिनके विकास की आशा शिक्षा से की जाती है। समग्रता की दृष्टि रखने वाली शिक्षा से ही जिम्मेदार नागरिक का विकास संभव होगा, जो समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा तथा समाज की भलाई के लिये काम कर सकेगा। इस तरह वैज्ञानिक, इंजिनियर, तकनीकी विशेषज्ञ या परिवर्तन के अन्य कारकों आदि सभी का, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में अपनी-अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। इसलिये ऐसा लगता है कि ग्रामीण उच्च शिक्षा का प्रमुख व्यक्ति के व्यवहार व स्वभाव तथा रुचि जैसे वृहत्तर व्यक्तितत्व विकास से संबंधित गुणों का विकास करना होगा और यही नयी तालीम का प्रमुख तत्व है। आज आवश्यकता है गांधी जी द्वारा बोये गये नई तालीम के बीज को देशभर के ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने की। नयी तालीम शिक्षा को सामाजिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करने से ही ग्रामीण क्षेत्र का उसकी पूरी क्षमता के साथ विकास संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (ncri) ग्रामीण संस्थाओं के माध्यम से इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयासरत है। महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना, नयी तालीम, 'बुनियादी तालीम' तथा 'बेसिक शिक्षा' के नामों से भी जाना जाता है। गांधीजी ने २३ अक्टूबर १९३७ को 'नयी तालीम' की योजना बनायी जिसे राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप दिया जाना था। उनके शैक्षिक विचार शिक्षाशास्त्रियों के तत्कालीन विचारों से मेल नहीं खाते, इसलिये प्रारम्भ में उनके विचारों का विरोध हुआ।

गांधीजी ने कहा था कि नयी तालीम का विचार भारत के लिए उनका अन्तिम एवं सर्वश्रेष्ठ योगदान है। गांधीजी के जीवन-पर्यन्त चले सत्य के अन्वेषण एवं राष्ट्र के निर्माण हेतु सक्रिय प्रयोगों के माध्यम से लम्बे समय तक विचारों के गहन मंथन के परिणामस्वरूप नयी तालीम का दर्शन एवं प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ जो केवल भारतवर्ष ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानव समाज को एक नयी दिशा देने में सक्षम था। परन्तु दुर्भाग्यवश इस सर्वोत्तम कल्याणकारी शिक्षा-प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप आजतक यह देश गांधीजी के सपनों के अनुरूप सार्थक और सही स्वराज प्राप्त करने में असमर्थ रहा। बल्कि इसके विपरीत आज तो आलम यह है कि शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत पुनः पाश्चात्य साम्राज्यवाद के अधीन निरन्तर सरकता चला जा रहा है।

आज भारत की अधिकांश शिक्षा-व्यवस्था राज्याश्रित अथवा पूंजीपतियों पर आश्रित है। अधिकांश राज्याश्रित शिक्षण-संस्थाएँ संसाधन एवं अनुशासन के अभाव में निष्क्रिय हैं। इसलिए गुणवत्ता से युक्त शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार पूजीपतियों पर आश्रित सभी शिक्षण-संस्थाएं व्यावसायिक रूप में सक्रिय हैं, जो गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। उनमें सिर्फ सम्पन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। भारत की स्वाधीनता के ६० से अधिक वर्ष बीतने के पश्चात् भी ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है, जिन्होंने विद्यालय के द्वार तक नहीं देखे हैं। जो विद्यालय जाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें लॉर्ड मैकाले की परम्परा से चली आ रही अंग्रेजी शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुल मिलाकर उनमें भारतीय मौलिक शिक्षा को ग्रहण करनेवाले शायद ही कोई मिले। यह बात नहीं कि भारतीय शिक्षा देनेवालों का अभाव

है। परन्तु इसलिए कि सभी अभिभावकों में यह इच्छाशक्ति एवं साहस नहीं है कि अपने बच्चों को सरकारों अथवा पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित अंग्रेजी शिक्षा को त्यागकर भारतीय शिक्षा दिलावें। जब तक जनसाधारण की इस कायरतापूर्ण मानसिकता में परिवर्तन न किया जायेगा, तबतक नयी तालीम सहित कोई भी भारतीय शिक्षण-प्रणाली इस देश में पनप नहीं सकती।

इतिहास 22–23 अक्टूबर , 1937 को वर्धा में जो 'अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन' आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की। उसके उद्घाटन भाषण में गांधीजी ने अपने शिक्षादर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी 'नई तालीम' योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षाशास्त्री विनोबा भावे, काका कालेलकर तथा जाकिर हुसैन, सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन के अन्तिम दिन निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये-

(१) बच्चों को ७ वर्ष तक राष्ट्रव्यापी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाय।

(२) शिक्षा का मध्यम मातृभाषा हो।

(३) इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास, जहाँ तक सम्भव हो, बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से सम्बन्धित हो।

इन प्रस्तावों के पारित हो जाने के बाद डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया जिसे इन प्रस्तावों के आधार पर व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार करने का काम दिया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार की गयी जो देश भर में 'नई तालीम', 'बुनियादी शिक्षा' या 'वर्धा योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

भारत सरकार ने 'बुनियादी शिक्षा की संकल्पना' शीर्षक पुस्तिका में स्वावलंबन का उल्लेख तक नहीं किया। यहाँ तक कि गांधीवाद के आदर्शों के महान् पोषक विनोबा भावे का भी अब यह विचार हो गया है कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का लाभ शिक्षा पर होनेवाले उचित खर्च के कम करने पर प्रयोग न किया जाए बल्कि वह अभिभावकों (माता पिता) को मिलना चाहिए जिससे वे अपने काम में अपने बच्चों की सहायता से लाभ न उठा सकने के कारण हुई क्षति को पूरा कर सकें। ऐसा लगता है, सरकार भी सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करती है कि बच्चों के उत्पादक कार्यं से प्राप्त लाभ उन्हीं के हित में खर्च किया जाए, जैसे विद्यालय के परिधान (यूनीफार्म) या मध्यान्ह के भोजन के प्रबंध पर। इसलिए यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि गांधी जी की कल्पना के अनुसार बेसिक स्कूलों में उत्पादक व्यवसायों को आरंभ कर देने से बुनियादी शिक्षा का खर्च बड़ी मात्रा में कम नहीं किया जा सकता।

इसलिए बुनियादी शिक्षा को यदि देश भर में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौम पद्धति बनाना हो तो इसके लिए प्रचुर मात्रा में बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था आवश्यक है। बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के स्तर पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज की स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज़ की अनिवार्य बातों में से एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने सम्मिलित प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलिए कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाप्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की 45 वीं धारा के अनुसार 1960 ई. तक 14 वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध हो जाना चाहिए था। यह एक विशाल समस्या है और इसके समाधान के लिए मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान् साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते है कि छड़ से 14 वर्षवाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ 1980-1981 तक प्राप्त हो जाएँ। अब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाए तो सार्वभौम शिक्षा के स्तर तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगेगा। बुनियादी शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण अधिक महंगी है। बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (1963) की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधारण प्रारंभिक विद्यालय को बेसिक स्कूल में परिवर्तित करने में कम से कम जितने साधनों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ही बुनियादी शिक्षा का विकास होना आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाए जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर होता रहे ताकि अंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुधरी हुई पद्धति के रूप में विकसित हो जाए। कुछ बातें जिनके करने की आवश्यकता है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं : परंपरागत सिद्धांतों पर ही काम कर रहे बेसिक स्कूलों को कम से कम अनिवार्य शर्तों की पूर्ति करते हुए सच्चे बेसिक स्कूल बनाना चाहिए। जिन विद्यालयों का पूर्ण विकास नहीं हो सका है उनको अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे आदर्श बेसिक स्कूल बन सकें और दूसरे उनका अनुकरण करें। बुनियादी शिक्षा के विस्तार को लगातार बढ़ाते रहें। साधारण विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में बदलें और नए बेसिक स्कूल खोलें। अधिकांश प्रदेश बेसिक स्कूलों की संख्या को प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत तो बढ़ा हो सकते हैं। बेसिक स्कूलों के लिए उद्योग चुनते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उद्योग शक्षा की दृष्टि से समृद्ध हों तथा सामाजिक वातावरण और बच्चों की अवस्था के अनुकूल हों। कच्चे माल की बरबादी को रोकने के लिए बेसिक स्कूलों की निम्न श्रेणियों में उद्योग संबंधी कार्य उस समय तक न कराया जाए जब तक बच्चे इतने परिपक्व न हो जाएँ कि वे इसका प्रयोग लाभपूर्वक कर सकें। मिट्टी का काम, प्रारंभिक बागवानी या कुछ कम खर्चवाले हाथ के काम नीचे की कक्षाओं में कराए जा सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस आधार पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा के कुछ तत्व सरलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएँ, सामाजिक सेवा के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यकलाप इत्यादि। ऐसा विद्यालय, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि हो और सिंचाई की

सुविधाएँ पर्याप्त हों, फल और तरकारियों के उत्पादन का कार्य कर सकता है। यह आवश्यक है कि जिन विद्यालयों में ये क्रियाएँ आरंभ की जाएँ, उनका भली भाँति नियोजन किया जाए और साथ ही, उनसे पूरा पूरा शैक्षिक लाभ उठाया जाए। उत्तर बुनियादी विद्यालय को बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक शाखा समझना चाहिए जहाँ उस उद्योग में योग्यता प्राप्त करने पर बल दिया जाए जिसे एक छात्र बेसिक स्कूल से करता चला आया है। 1957 में सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑव एजुकेशन की राय से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले में सविस्तार अध्ययन के लिए नियुक्त की गई समिति ने उत्तर बुनियादी शिक्षा के देश की प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पद्धति का एक अंग बने रहने पर जोर दिया है। बेसिक स्कूल की शैक्षिक योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि उच्च कोटि की हो और वे अपने कार्य में प्रवीण हों। प्रारंभिक विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करनेवाली सभी प्रशिक्षण सस्थाएँ बेसिक ढंग की होनी चाहिए। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जाए। इस प्रशिक्षण विद्यालय के साथ चार पाँच बेसिक स्कूल संलग्न होने चाहिए। इस केंद्र में पर्याप्त रूप से अध्यापक एवं उपकरण हों और बुनियादी शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम इसी के द्वारा पूरा किया जाए। यह एक प्रशिक्षण के बहुग्राही महाविद्यालय (कांप्रीहेंसिव कालेज ऑव एजुकेशन) का अभिन्न अंग हो जिसमें कई प्रशिक्षण संस्थाएँ हों जो शिक्षा के सभी स्तरों एवं विद्यालय के कार्यक्रम की भिन्न भिन्न शाखाओं के लिए अध्यापक तैयार करें। 1938 में बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की थी। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की एक समिति स्थापित होनी चाहिए जिसके कार्यों में बुनियादी शिक्षा में खोज और संगठन का कार्य भी सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक प्रदेश में स्थापित शिक्षा की प्रदेशीय संस्था (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑव एजुकेशन) बुनियादी शिक्षा की विविध समस्याओं का अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (नैशनल काउंसिल ऑव एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग) को राष्ट्रीय स्तर के महत्व वाली समस्याओं का अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान द्वारा समवाय (कोरीलेशन) पद्धति को अध्यापक के लिए सुबोध तथा सुगम बना दिया जाए। बुनियादी शिक्षा संबंधी कुछ ऐसी मुख्य समस्याएँ हैं जिन्हें सुलझाने के लिए शीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे एक ही शिक्षक द्वारा अनेक कक्षाओं के पढ़ाने की समस्य, ऐसी कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या, जिनमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो, भिन्न भिन्न उद्योगों की शैक्षिक संभावनाओं का पता लगाने और उनकी पद्धति तथा उत्पादन क्षमता का विकास करना जिनके द्वारा जाँच की जा सके कि कहाँ तक बुनियादी शिक्षा की प्रगति उसके उद्देश्यों के अनुसार हो रही है ताकि इन विधियों और उपकरणों से बुनियादी शिक्षा के अध्याक एवं प्रशासक आवश्यकतानुसार लाभ उठा सके, बेसिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करनेवाली प्रशिक्षण संस्थाओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सके और छात्राध्यापकों के लिए उपयुक्त साहित्य की तैयारी पर ध्यान देना इत्यादि।

परिणाम -

अर्थात की जो वर्तमान शिक्षा सक्रिय है कही न कही उनुपयोगी एवं कौशल विमुक्त हैं, जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी किसी काम को करने योग्य नहीं है, जिससे गाँधी जी द्वारा बताये मार्ग पर ही चलना उचित प्रतीत हो रहा है क्योकि वर्तमान शिक्षा बालक को उसकी क्षमता का विकास करने में सहायक सिद्ध नही हो रही है जिससे वह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी की काम को करने योग्य नही हो पा रहा है जिस कारण बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता विशेष रूप में परिलक्षित होती है ताकि बालक शिक्षा प्राप्त करने पश्चात् किसी न किसी काम के करने योग्य हो जाय जो उसके आर्थिक विकास एवं राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। अन्तः हम यही कहेगे की शिक्षा की विषय वस्तु तथा स्कुल कलेजो में शैक्षिक प्रक्रिया परिवर्तनशील कार्य जगत के आवश्यकताओ से पूर्णतया छात्रो में ऐसी योग्यताओ का विकास करना चाहिए की जो छात्रो को उनके समवाधिक विकास के साथ साथ उनके सम्पूर्ण विकास हेतू बुनियादी शिक्षा का रूप प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा वर्तमान शिक्षा का लक्ष्य भी कौशल युक्त शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा के रस्ते चलकर हम पूर्ण कर सकते है।

निष्कर्ष -

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जायेगा की गाँधी की नई तालीम बच्चो को उनकी मत्री भाषा में पढ़ाने पर बल देती है उनके विचार में बच्चो को उनके घर से दूर करना असली शिक्षा से दूर करना है क्योकि घर से बड़ा विद्यालय कुछ नहीं है। अर्थात की शिक्षा को विद्यार्थी के अनुकूल बनाना है तो उसका रूप नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के सामान होना ही चाहिए जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार योग्य हो जाय जो उसके जीवकोपार्जन में पूर्ण सहायता कर सकती हो जिससे ये विद्यार्थी समाज में उतपादक के रूप कार्य कर सके न की सिर्फ उपभोगता का ही कार्य करे।

संदर्भ सूची -

1. गाधी, मोहनदास करमचंद,2013,मेरे सपनो का भारत,नई दिल्ली, डायमंड बुक्स।
2. डा ओड़ लक्ष्मीलाल 2014, शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. शिक्षा सफलता का मंत्र, योजना, नई दिल्ली, विशेषांक।
4. योजना, फरवरी, नई दिल्ली, अंक 2।
5. कुमार कृष्ण, शिक्षा के विषय पर महात्मा गाँधी के विचार।
6. जसटा हरिराम - गूगल पुस्तक लेखक , आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन।